पत्रांक–17/ए 3–16/2013

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अत्यावश्यक

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :–

विषय :– दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्ति हेतु संलग्न विज्ञापन को राज्य के तथा राष्ट्रीय स्तर के दो प्रमुख समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में लगातार दो दिनों तक यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :–सूचना की छः प्रति सी० डी० के साथ।

विश्वासभाजन
ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 17/ए3-16/2013 – 877(17) **पटना, दिनांक–** 27/12/2016
प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विज्ञापन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/Vijay sir/Press vigyapati/Press vigyapan

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट /ट्यूटर के टेन्योर पद पर नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के लिए On-line आवेदन देने हेतु सूचना

(चिकित्सक कृपया ध्यान दें)

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर (तीन वर्षीय) पदों पर नियुक्ति हेतु सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 व संशोधित नियमावली 2013 के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। उक्त नियमावली के संगत प्रावधान निम्न प्रकार हैं:–

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के सिनियर रेजिडेन्टों/ट्यूटर के पद तीन वर्षीय टेन्योर शैक्षणिक पद होंगे। टेन्योर पदों पर नियुक्ति एतद् द्वारा निर्धारित निम्न मापदंड / शर्तों के आधार पर की जाएगी:–

प्रति वर्ष सिनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के 40% पद बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों से, भरा जायेगा एवं 40% पद राज्य के चिकित्सा महाविधालयों से स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम (रेजिडेन्सी स्कीम के अन्तर्गत) पूरा किये हो तथा शेष 20% पद वैसे चिकित्सकों से भरा जायेगा जिन्होंने राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातकोत्तर डिग्री (रेजिडेन्सी स्कीम) प्राप्त किया हो । राज्य सरकार द्वारा इन पदों पर चुने जाने हेतु समय–समय पर अन्य वांछनीय मापदंडों के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विषय–विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि होगी। सुयोग्य उम्मीदवारों की कमी होने की स्थिति में न्यूनतम योग्यता को भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुशंसा के आलोक में शिथिल किया जा सकेगा ।

इसी परिप्रेक्ष्य में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निम्नांकित विषयों में ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट के रिक्त टेन्योर (तीन वर्षीय) पदों पर निम्नलिखित विभागों में नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने हेतु On-line आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: –

क्र0 सं0	विभाग का नाम एवं साक्षात्कार की तिथि	क्र0 सं0	विभाग का नाम एवं साक्षात्कार की तिथि	क्र0 सं0	विभाग का नाम एवं साक्षात्कार की तिथि
साक्षात्कार स्थल –आर0एस0बी0 ऑडिटोरियम, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना समय– 10:00 बजे पूर्वाह्न से					
	17.01.17		20.01.17		24.01.17
1.	एनॉटोमी	13.	सर्जरी	25.	शिशु सर्जरी
2.	फिजियोलॉजी	14.	मनोरोग	26.	प्लास्टिक सर्जरी
3.	बायोकेमेस्ट्री	15.	हड्डी	27.	कार्डियोथोरासिक सर्जरी
4.	पैथोलॉजी	16.	नाक, कान, एवं गला	28.	न्यूरो सर्जरी
	18.01.17		21.01.17		25.01.17
5.	माइक्रोबायोलॉजी	17.	नेत्र रोग	29.	यूरोलॉजी
6.	फार्माकोलॉजी	18.	स्त्री एवं प्रसव रोग	30.	इन्डोक्रायोनोलॉजी
7.	पी0एस0एम0	19.	शिशु रोग	31.	कार्डियोलॉजी
8.	एफ0एम0टी0	20.	रेडियोथेरॉपी	32.	नेफ्रोलॉजी
	19.01.17		23.01.17		27.01.17
9.	औषधि	21.	निश्चेतना	33.	नियोनेटोलॉजी
10.	टी0वी0 एण्ड चेस्ट	22.	पी0एम0आर0	34.	गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी
11.	चर्म एवं रति रोग	23.	दंत विभाग	35.	न्यूरोलॉजी
12.	रेडियोलॉजी	24.	जेरियाट्रिक्स		

D/vijay sir/Press vigyapati/Advertisement

टेन्योर पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्ते :–

1. 31.12.2017 तक की रिक्ति को इस पैनल से भरा जाएगा। इस पैनल की मान्यता 31.12.2017 तक रहेगी।
2. वैसे चिकित्सक शिक्षक, जिन्हें एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं, एवं उन विषयों के लिए आवेदक होते हैं, तो उन्हें विभागवार अलग–अलग आवेदन देना होगा तथा इसका उल्लेख On-line आवेदन में करना होगा। साथ हीं विषय की प्राथमिकता भी अंकित करनी होगी। एक बार चयनित होने पर किसी भी परिस्थिति में दूसरे विषय में चयन नहीं किया जायेगा।
3. टेन्योर पद पर नियुक्ति के उपरांत चिकित्सक शिक्षकों को वेतनमान 9300–34,800, ग्रेड पे–5400/रु0 एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में पूर्व से कार्यरत चिकित्सक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वही वेतन महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते के साथ देय होंगे।
4. आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 01.08.2016 को वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित है, परन्तु बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों के लिए इस उम्र सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी।
5. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के सिनियर रेजिडेन्टों/ट्यूटर के पद तीन वर्षीय टेन्योर शैक्षणिक पद होंगे।
6. जो चिकित्सक सरकारी सेवा में है, उनका आवेदन पत्र नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित होना चाहिए।
7. (i) टेन्योर पद पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार पैनल तैयार किया जायेगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को ही देय होगा। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

   (ii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में On-line स्वीकार किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए **वेबसाईट** *sites.google.com/view/bmesr* पर दिनांक– 01.01.2017 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक–15.01.2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक Upload किया जा सकता है। आवेदक Website पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ID generate करने के उपरांत Form पूरी तरह भरकर Submit करेंगे।

   (iii) आवेदक On-line आवेदन समर्पित करने के पश्चात् आवेदन का E-Mail/Form Print out के साथ एनेक्सचर–01 के आधार पर एनेक्सचर–02 में दिए गये अंक गणना प्रपत्र को भरकर सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ एवं उपर्युक्त कंडिका–6 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अग्रसारण साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। इस विज्ञापन के साथ एनेक्सचर–01 एवं 02 को विभागीय वेबसाईट *sites.google.com/view/bmesr* में दिये गये लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

   (iv) On-line आवेदन पत्र में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं विषय का प्राथमिकता के अनुसार विकल्प देना होगा, परन्तु विकल्प के आधार पर पदस्थापन का दावा नहीं किया जा सकता है, तथा पदस्थापन के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

D/vijay sir/Press vigyapati/Advertisement

(v) जिन चिकित्सकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, अथवा फौजदारी मुकदमा दायर हो, अथवा जो निलंबित हों अथवा लम्बे अवकाश में हों, उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा। तत्संबंधी शपथ पत्र मूल रूप में Print out आवेदन के साथ संलग्न किए जाएं।

(vi) ट्यूटर/सिनियर रेजिडेन्ट के पद पर पूर्व में नियुक्त/एवं कार्यरत चिकित्सक पुनः आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक आवेदक को शपथ–पत्र मूल रूप में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा की वे पूर्व में आवेदित विषय में M.C.I से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/संस्थान से सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर (तीन वर्षीय) के रूप में कार्य नहीं किया है। शपथ पत्र नहीं दिये जाने की स्थिति में आवेदक की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार

D/vijay sir/Press vigyapati/Advertisement